Email: cswriavikanagar@yahoo.com Z nwरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

561

कमांकः 6(100)एस0पी0 / व्हीकल हायरिंग / 2004 / वोल–प्रथम / 941 to 959 दिनांक : 15.07.2019

निमित्त–

मैसर्स करणी ट्रेवल्स,
गढ चारनन, कचौलिया,
तह0 मालपुरा, जिला–टोंक
राजस्थान 304503
मो0न0– 9252033353
8619943303

विषय :– संस्थान के विभिन्न परियोजना, बाह्य परियोजना एवं फील्ड / अनुसंधान कार्यो हेतु आकस्मिक आधार पर वाहनों के कार्य वार्षिक अनुबंध के आधार पर करने के कम में।

सदर्भ :– आप द्वारा प्रस्तुत निविदा / टेण्डर सूचना पत्रांक 6 (100) एसपी / व्हीकल हायरिंग /2004 / वोल–प्रथम दिनांक 26.02.2019 एवं नेगोशियेशन दिनांक 5.7.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके निविदा / टेंडर सूचना एवं नेगोशियेशन द्वारा दी गई न्यूनतम दरों के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी महोदय ने संस्थान के विभिन्न प्रोजेक्ट व फिल्ड कार्यो हेतु आकस्मिक आधार पर आपके वाहन को अनुबन्ध (किराये) पर रखने की अनुमति प्रदान की है।

अतः आपको निम्नलिखित दर, एवं नियम व शर्तो के आधार पर संस्थान में उक्त प्रयोजनार्थ आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वाहन अनुबन्ध (किराये पर)लगाने हेतु कार्य अनुबंध आदेश दिये जाते है । कार्य अनुबन्ध की दर, नियम व शर्ते नीचे दिये अनुसार हैं –

(A)

Details of Vehicle to be hired	A					
	Rate for 8 Hrs & upto 80 Km (In Rs.)		Rate for Extra Km charge after completing **80 km** as given in A-1 (In Rs.)		Rate of Extra Hrs after completing **80 km** (In Rs.)	
	A-1		A-2		A-3	
	AC	**Non-AC**	**AC**	**Non-AC**	**AC**	**Non-AC**
Hatchback (5 Seater) (Indica)	1500.00	1400.00	12.00	11.00	100.00	100.00
Sedan (5 Seater) (Indigo/Dezire/Itios/Xcent)	1500.00	1400.00	12.00	11.00	100.00	100.00
SUV (7 Seater & above) (Bolero/Innova/Tavera/Scorpio)	2000.00	1900.00	12.50	11.50	100.00	100.00

(B) Minimum running charges will have to be paid for 250 km atleast for below

Details of Vehicle to be hired	B				C
	Out Station/Local Charge (**250Km/Day**) Rates Per km (In Rs.)		Extra Km Charges after completing **250 km** (In Rs.)		Driver night halt charges for out-station (In Rs.)
	B-1		B-2		
	AC	**Non-AC**	**AC**	**Non-AC**	
Hatchback (5 Seater) (Indica)	12.00	11.00	12.00	11.00	300.00
Sedan (5 Seater) (Indigo/Dezire/Itios/Xcent)	12.00	11.00	12.00	11.00	300.00
SUV (7 Seater & above) (Bolero/Innova/Tavera/Scorpio)	12.50	11.50	12.50	11.50	300.00

..........2/-

नीरज 15/7/19

1. वाहन का रजिस्ट्रेशन टी0नं0 (टेक्सी)व आल इन्डिया परमिट होना चाहिये जो कि परिवहन विभाग से किराये पर चलाने के लिए मान्य होना चाहिये। वाहन बीमा शुदा होना चाहिए ।
2. आकस्मिक आधार पर उपलब्ध कराने वाले वाहनों का मेक वर्ष 2016 व इसके बाद का लेटेस्ट होना चाहिए
3. आकस्मिक आधार पर ली जाने वाली गाडी का उपयोग राजस्थान राज्य की सीमा में एवं राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भी किया जा सकता है।
4. वाहन के सभी वेध प्रपत्र (बीमा ,रजिस्ट्रेशन प्रदूषण जॉच , वाहन चालक का लाईसेन्स आदि) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिये तथा इसकी एक प्रति संस्थान कार्यालय /वाहन अनुभाग मे जमा करानी होगी।
5. Firm shall make available the vehicle(s) within five hours of sending the notice/information from this Institute as and when the requirement of vehicle(s) arises or the period specified in the demand. Order can be given by e-mail, SMS & Whats app via authorized representative of this Institute and will be intimated you in order.
6. वाहन की लॉग बुक चालक के पास रहेगी तथा संबंधित अधिकारी से लॉग बुक मे प्रविष्ठियां प्रतिदिन दर्ज करानी होगी।
7. Kilometers and Journey time will be counted from headquarters of the Institute situated at Avikanagar
8. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की टूट फूट होने ,दुर्घटना होने अथवा कोई जुर्माना होने पर इसकी सम्पूर्ण जवाब देही /जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी । ऐसी दशा में वाहन में यात्रा कर रहें अधिकारियों /कर्मचारियों को गन्तव्य स्थान पर पहुॅचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन में यात्रा करे रहे अधिकारियों /कर्मचारियों को गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करना होगा।
9. यात्री विश्राम भत्ता /प्रभार मुख्यालय से प्रस्थान करने के छः घन्टे के पश्चात देय होगा। बशर्ते वाहन का ठहराव रात्रि को मुख्यालय से बाहर हो । लगातार चलती गाडी में रात्रि विश्राम नही दिया जावेगा।
10. वाहन के रखरखाव व इसको चलाने के लिए आवश्यक डीजल, ऑयल, मरम्मत व साधारण टोल टेक्स , सभी प्रकार के कर व्यय तथा चालक आदि का समस्त व्यय वाहन मालिक को वहन करना होगा । संस्थान द्वारा निविदा में दर्शायी गई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का देय स्वीकार नही किया जायेगा ।
11. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी एवं परिषद/संस्थान द्वारा उसका किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जावेगा ।
12. वाहन में लगा माईलोमीटर सील किया हुआ एवं कार्यरत होना आवश्यक है तथा इसे बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जावेगा, यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान संभव नहीं होगा ।
13. Demand of the vehicle can be made by the Institute at any time and even in Sunday/Gazetted Holidays.
14. Vehicle(s) provided should have up-to-date and complete documents as per Motor Vehicle Act.

<u>कटौतियां:</u>

15. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
16. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित आचरण पाये जाने पर तथा फर्म/ ठेकेदार की सेवायें संतोषप्रद रूप से नहीं पाये जाने पर संस्थान तुरन्त प्रभाव से वाहन हटा सकेगा । इस संबंध में संस्थान द्वारा वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा। वाहन चालक द्वारा दुराचरण या मधपान की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है । जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं वाहन मालिक/फर्म/ठेकेदार की होगी
17. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार में शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
18. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुॅचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। इस सम्बंध में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
19. कार्य निर्देशानसुार समय पर पूर्ण नही होने की दशा में ठेकेदार की जमा जमानत राशि को जब्त करते हुए अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा ,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
20. ठेकेदार एवं उसके प्रतिनिधि को संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियो के साथ शिष्टता का व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका समयावधि से पूर्व भी समाप्त/निरस्त किया जा सकता है।

....

3/–

नीरज 15/7/19

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तेः

21. चालकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये चालकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
22. वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित समस्त विधिक (Legal) एवं अन्य प्रकार के दायित्वों का निर्वहन निविदादाता/ठेकेदार द्वारा किया जायेगा
23. निविदादाता को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों एंव वाहन चालकों के लाईसेंस के समस्त/स्वत्व हक के प्रमाण स्वरूप पंजीयन प्रमाण–पत्र मये परिवहन विभाग के टेक्स की रसीद, अनुबन्ध निष्पादन के समय प्रस्तुत करने होगें ।
24. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा आवश्यक करवा लें।
25. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
26. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
27. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
28. इस अनुबंध में G.F.R.,2017 (Mannual for Procurement of Goods and Services) में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागू होगें ।

भवदीय
नीरज 15/7/17
(नीरज तॅवर)
प्रशासनिक अधिकारी(क्रय)

वितरणः–
1. आहरण एवं सवितरण अधिकारी 2. वित्त एवं लेखा अनुभाग 3. विभागाध्यक्ष ,पशु पोषण विभाग
4. विभागाध्यक्ष ,पशु शरीर क्रिया विभाग 5. विभागाध्यक्ष ,पशु स्वास्थ्य विभाग 6. प्रभारी पशुधन फार्म अनुभाग
7. विभागाध्यक्ष , पशु अनु0 एवं प्रजनन विभाग 8.प्रभारी तकनीकी स्थाना0 एवं सामाजिक विज्ञान विभाग
1. प्रभारी टी0एम0टी0सी0 विभाग 10. प्रभारी, एच0आर0डी0 अनुभाग 11. प्रभारी चारा एवं चरागाह अनुभाग
12. प्रभारी, फार्म अनुभाग 13.PI ANIP GIP 14. निदेशक निजी सचिव 15. I/c Adm.I.Section
16.प्रभारी सुरक्षा अनुभाग को सूचनार्थ 17–प्रभारी,वाहन एवं कार्यशाला 18.सतर्कता अधिकारी 19.गार्ड फाईल

समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष एवं पी.आई0 परियोजना को भेजकर अनुरोध है कि सम्बंधित पी0आई0 परियोजना मे (फील्ड/प्रोजेक्ट कार्य) वाहन का उपयोग करने से पूर्व परियोजना में बजट प्रावधान सुनिश्चित कर लें तथा वाहन को किराये पर लेने से पूर्व संस्थान के निदेशक महोदय की अनुमति लेने का श्रम करें। गाडी उन्ही मामलों में किराये (Hire) की जाये जिन परियोजनाओं /मामलों में गाडी किराये करने का बजट प्रावधान उपलब्ध हो। समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष एवं पी.आई0 परियोजना से अनुरोध है कि आवश्यकता के अनुसार वाहन की मांग समय से दो दिन पूर्व एवं अति–आवश्यक होने की स्थिति में 24 घटें पूर्व अनुबंधकर्ता को सूचित करने का श्रम करे।

साथ ही, समस्त विभागाध्यक्ष /अनुभागाध्यक्ष /पी0आई0 से अनुरोध है कि अनुबन्धकर्ता/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल का इन्द्राज , बिल पर वांछित प्रमाण –पत्र आदि की टिप्पणी अंकित करते हुये बिल के भुगतान की अग्रिम कार्यवाही अपने स्तर पर करने का श्रम करे।

नीरज 15/7/17
प्रशासनिक अधिकारी(क्रय)